

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम- पटना, बेगूसराय एवं कटिहार।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद- जहानाबाद एवं दानापुर।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- बोधगया, जगदीशपुर एवं कोचस।

पटना, दिनांक- 08/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण मद से संबंधित कुल ₹2023.54696 लाख (बीस करोड़ तेईस लाख चौवन हजार छः सौ छियानवे रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण मद से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹2023.54696 लाख (बीस करोड़ तेईस लाख चौवन हजार छः सौ छियानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-128 दिनांक-08/3/18 के आलोक में तत्काल कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०-49 एवं 50 अंतर्गत अशोक राज पथ स्थित मुहम्मदपुर मोड से मोहम्मदपुर रोड होते हुए सैदपुर नहर तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	199.56200	99.78100	99.78100
2		वार्ड सं०- 03 अंतर्गत सबजपुरा मोड से देवी मंदिर होते हुए राजु विश्वकर्मा के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	58.14700	29.07350	29.07350
3		वार्ड सं०- 03 अंतर्गत न्यू सबजपुरा मोड से बालमुकुन्द शर्मा के घर होते हुए शशिमूषण कुमार (रिलवे लाईन) के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	37.41200	18.70600	18.70600
4		वार्ड नं०- 06 अंतर्गत राजीव नगर में पथ सं०- 24 से 25 'डी' तक श्री अशोक सिंह के घर तक आर०सी०सी० ड्रेन एवं पथ उन्नयन कार्य।	47.76100	23.88050	23.88050

5		वार्ड सं०- 30 अंतर्गत संजय नगर रोड नं०- 03 में भूगर्भ नाला/पी०सी०सी०, सड़क का निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य।	32.55500	16.27750	16.27750
योग (क)			375.43700	187.71850	187.71850
6	नगर निगम, बेगूसराय	बी०पी० स्कूल से नौलखा मंदिर तक नाला-सह-पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	226.69300	56.67325	170.01975
7		जी०डी० कॉलेज के पीछे पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	306.82700	76.70675	230.12025
8	नगर निगम, कटिहार	कटिहार अंतर्गत नया टोला शरीफगंज में कटिहार-मनिहारी मुख्य सड़क से धुरन सहनी के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं पक्का नाला का निर्माण कार्य।	335.15700	83.78925	251.36775
योग (ख)			868.67700	217.16925	651.50775
9	जहानाबाद नगर परिषद	वार्ड सं०- 14 में एरोड्राम धनगावा रोड से राहुल रौशन के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	33.65800	16.82900	16.82900
10	नगर परिषद, दानापुर	दानापुर निजामत नगर परिषद के आई०ए०एस० कॉलोनी में पंकज कुमार के मकान से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	19.69200	9.84600	9.84600
योग (ग)			53.35000	26.67500	26.67500
11	नगर पंचायत, बोधगया	जापानी मंदिर रोड से शाक्या विहार मोनास्ट्री होते हुए मोचारिम तक सड़क निर्माण कार्य।	81.45400	40.72700	40.72700
12		रामान्या भूमि ट्रस्ट से होते हुए कोल्ड स्टोरेज तक सड़क निर्माण कार्य।	219.60400	54.90100	164.70300
13		मिर्यो बिगहा से सुजाता बाईपास तक सड़क निर्माण कार्य।	69.83100	34.91550	34.91550
14		सिचेन मोनास्ट्री होते हुए बिड़ला धर्मशाला तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	15.22500	7.61250	7.61250
15		लुम्बनी होटल के बाउन्ड्री के बगल से बस स्टैण्ड तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	63.09500	31.54750	31.54750
16	नगर पंचायत, जगदीशपुर	वार्ड नं०- 10 स्थित काली मंदरी से दया राम बाबा के पोखरा होते एन०एच०- 30 तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	33.37935	16.68968	16.68968
17		मेन रोड कोतवाली से विशेष टोला होते संजय पासवान के घर होते शिवजी पोखरा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	45.75785	22.87893	22.87893
18		वार्ड नं०- 17 एवं 18 में मुषा चाय दुकान से भुवन भटचार्य के घर होते हुए जमाल जी के घर होते हुए राम आशीष के घर होते हुए नहर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	44.06075	22.03038	22.03038
19		मेन रोड दुलौर गली से जागा के पिपर होते मिट मार्केट होते बिहियाँ पीरो रोड में बॉली तलाब तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	48.35601	24.17801	24.17801
20	नगर पंचायत, कोचस	सत्येन्द्र सिंह के घर से शर्मा राय-सह- सुरेश साह के घर होते हुए पावान डेरा के पास रामप्रवेश पासवान के घर तक पी०सी०सी० नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	49.49500	24.74750	24.74750
21		एन०एच०-30 मोहनियां रोड के पास रामाशंकर साह के घर से राजेन्द्र साह के घर होते हुए रामाधार प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	49.49500	24.74750	24.74750
22		सुनील साह के घर से त्रीलोकी साह के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	6.33000	6.33000	0.00000
योग (घ)			726.08296	311.30548	414.77748
कुल योग (क+ख+ग+घ)			2023.54696	742.86823	1280.67873

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र।

2. तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त आवंटित कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों/पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि नगर निकाय/जिला शहरी विकास अभिकरण/पथ निर्माण विभाग के पी०एल० खाता में ही संधारित की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. कुल आवंटित राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) आवंटित कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 05 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल

₹187.71850 लाख (एक करोड़ सतासी लाख एकहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 06 से 08 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹217.16925 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ पच्चीस रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) आवंटित कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 09 से 10 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹26.67500 लाख (छब्बीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(घ) आवंटित कुल राशि राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 11 से 22 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹311.30548 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ अड़तालीस रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच मंडताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2017 129 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 08/03/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सं०- 01, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

0



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-08/03/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण मद से संबंधित कुल ₹2023.54696 लाख (बीस करोड़ तेईस लाख चौवन हजार छः सौ छियानवे रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण मद से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹2023.54696 लाख (बीस करोड़ तेईस लाख चौवन हजार छः सौ छियानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०-49 एवं 50 अंतर्गत अशोक राज पथ स्थित मुहम्मदपुर मोड से मोहम्मदपुर रोड होते हुए सैदपुर नहर तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	199.56200	99.78100	99.78100
2		वार्ड सं०- 03 अंतर्गत सबजपुरा मोड से देवी मंदिर होते हुए राजु विश्वकर्मा के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	58.14700	29.07350	29.07350
3		वार्ड सं०- 03 अंतर्गत न्यू सबजपुरा मोड से बालमुकुन्द शर्मा के घर होते हुए शशिभूषण कुमार (रिलवे लाईन) के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	37.41200	18.70600	18.70600
4		वार्ड नं०- 06 अंतर्गत राजीव नगर में पथ सं०- 24 से 25 'डी' तक श्री अशोक सिंह के घर तक आर०सी०सी० ड्रेन एवं पथ उन्नयन कार्य।	47.76100	23.88050	23.88050
5		वार्ड सं०- 30 अंतर्गत संजय नगर रोड नं०- 03 में भूगर्भ नाला/पी०सी०सी०, सड़क का निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य।	32.55500	16.27750	16.27750
योग (क)			375.43700	187.71850	187.71850

6	नगर निगम, बेगूसराय	बी०पी० स्कूल से नौलखा मंदिर तक नाला-सह-पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	226.69300	56.67325	170.01975
7		जी०डी० कॉलेज के पीछे पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	306.82700	76.70675	230.12025
8	नगर निगम, कटिहार	कटिहार अंतर्गत नया टोला शरीफगंज में कटिहार-मनिहारी मुख्य सड़क से धुरन सहनी के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं पक्का नाला का निर्माण कार्य।	335.15700	83.78925	251.36775
योग (ख)			868.67700	217.16925	651.50775
9	जहानाबाद नगर परिषद	वार्ड सं०- 14 में एरोड्राम धनगावा रोड से राहुल रौशन के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	33.65800	16.82900	16.82900
10	नगर परिषद, दानापुर	दानापुर निजामत नगर परिषद के आई०ए०एस० कॉलोनी में पंकज कुमार के मकान से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	19.69200	9.84600	9.84600
योग (ग)			53.35000	26.67500	26.67500
11	नगर पंचायत, बोधगया	जापानी मंदिर रोड से शाक्या विहार मोनास्ट्री होते हुए मोचारिम तक सड़क निर्माण कार्य।	81.45400	40.72700	40.72700
12		रामान्या भूमि ट्रस्ट से होते हुए कोल्ड स्टोरेज तक सड़क निर्माण कार्य।	219.60400	54.90100	164.70300
13		मिर्यो बिगहा से सुजाता बाईपास तक सड़क निर्माण कार्य।	69.83100	34.91550	34.91550
14		सिचेन मोनास्ट्री होते हुए बिड़ला धर्मशाला तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	15.22500	7.61250	7.61250
15		लुम्बनी होटल के बाउन्ड्री के बगल से बस स्टेण्ड तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	63.09500	31.54750	31.54750
16	नगर पंचायत, जगदीशपुर	वार्ड नं०- 10 स्थित काली मंदरी से दया राम बाबा के पोखरा होते एन०एच०- 30 तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	33.37935	16.68968	16.68968
17		मेन रोड कोतवाली से विशेष टोला होते संजय पासवान के घर होते शिवजी पोखरा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	45.75785	22.87893	22.87893
18		वार्ड नं०- 17 एवं 18 में मुषा चाय दुकान से भुवन भटचार्य के घर होते हुए जमाल जी के घर होते हुए राम आशीष के घर होते हुए नहर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	44.06075	22.03038	22.03038
19		मेन रोड दुलौर गली से जागा के पिपर होते मिट मार्केट होते बिहियाँ पीरो रोड में बॉली तलाब तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	48.35601	24.17801	24.17801
20	नगर पंचायत, कोचस	सत्येन्द्र सिंह के घर से शर्मा राय-सह- सुरेश साह के घर होते हुए पावान डेरा के पास रामप्रवेश पासवान के घर तक पी०सी०सी० नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	49.49500	24.74750	24.74750
21		एन०एच०-30 मोहनियां रोड के पास रामाशंकर साह के घर से राजेन्द्र साह के घर होते हुए रामाधार प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	49.49500	24.74750	24.74750
22		सुनील साह के घर से त्रीलोकी साह के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	6.33000	6.33000	0.00000
योग (घ)			726.08296	311.30548	414.77748
कुल योग (क+ख+ग+घ)			2023.54696	742.86823	1280.67873

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. **तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**
3. उक्त स्वीकृत कुल ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों/पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित कर दी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि नगर निकाय/जिला शहरी विकास अभिकरण/पथ निर्माण विभाग के पी०एल० खाता में ही संधारित की जायेगी।
4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
5. कुल स्वीकृत राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-
- (क) स्वीकृत कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 05 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल ₹187.71850 लाख (एक करोड़ सतासी लाख एकहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक

अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 06 से 08 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹217.16925 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ पच्चीस रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) स्वीकृत कुल राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 09 से 10 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹26.67500 लाख (छब्बीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(घ) स्वीकृत कुल राशि राशि ₹742.86823 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख छियासी हजार आठ सौ तेईस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 11 से 22 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹311.30548 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ अड़तालीस रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) तालिका के क्रमांक- 1, 6, 7, 9, 20, 21 एवं 22 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा तथा क्रमांक- 11, 12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

- (iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
- (v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2017 के पृष्ठ सं०-2.6...../टि० पर दिनांक- 07-03-2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-2.7...../टि० पर दिनांक- 07-03-2018 को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं संबंधित नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2017 128/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/03/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सं०- 01, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

1312